न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 32/20 **सन् 2020**
जीसीएमएस संख्या 2020/00053

बउनवानीः–

1. सुरजन पुत्र रामफूल मीना निवासी हस्तगंज, तहसील चौथ का बरवाडा
2. बनवारी पुत्र रामफूल मीना निवासी हस्तगंज, तहसील चौथ का बरवाडा
3. मुरारी पुत्र रामफूल मीना निवासी हस्तगंज, तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र मदन सिंह जाति राजपूत, संस्था जमवाय एज्यूकेशनल ट्रस्ट(आर.) सवाईमाधोपुर

(अपील तहसीलदार चौथ का बरवाडा की पत्रावली संख्या 11/19 अन्तर्गत धारा 183 बी, मे पारित आदेश दिनांक 12.6.2020 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थितः– 1. श्री बालकृष्ण उपाध्याय — वकील अपीलान्ट,1–3
2. श्री पारस मल जैन — रेस्पोडेण्ट सं. 1

–ः निर्णय ः– **दिनांक 09.02.2021**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 11/19 अन्तर्गत धारा 183 बी, में पारित आदेश दिनांक 12.6.2020 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जेर अपील विधि विरूद्व है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जेर अपील पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का सही प्रकार से अवलोकन नही किया है तथा अपीलान्टगण को सुनवायी एवं सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया तथा बिना दोनो पक्षों की बहस सुने ही निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है जिनकी खातेदारी भूमि ख.प. 5691/2689 रकबा 0.5050 है0 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा पर विपक्षी द्वारा पूर्वी दिशा की ओर उत्तर से दक्षिण लम्बाई व पूर्व से पश्चिम चौडाई में लगभग 0.25 है0 भूमि पर नाजायज कब्जा कर नी[illegible]र निर्माण कार्य करने लगा तब प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] के तहत अदालत मातहत के समक्ष विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत किया [illegible] अदालत मातहत ने पटवारी हल्का से मौके की वास्तविक रिपोर्ट मंगवायी जिस पर पटवारी हल्का ने [illegible] पर जाकर नापकर अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 28.1.2020 तैयार की जिसमे अपी[illegible] की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पर विपक्षी का 0.16 है0 भूमि मे पक्की दिवार व सीमेंट बाउण्ड्रीवाल बनाकर अनाधिकृत कब्जा करना अंकित किया है लेकिन अदालत मातहत ने इस बिन्दु पर कोई गौर नही कर आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। यह तर्क भी दिया कि रेस्पो. द्वारा दिनांक 03.06.2020 को पुनः सीमाज्ञान करवाये जाने हेतु अदालत मातहत मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसपर अदालत मातहत ने बिना किसी ठोस कारण के पुनः मौका स्थिति की जॉच हेतु टीम का गठन कर दिनांक 10.6.2020 को टीम द्वारा मौका निरीक्षण करवाया गया जिसमे अपीलान्ट का 0.56 है0 पर कब्जा होना माना है लेकिन उक्त 0.56 है0 में अपीलान्ट प्रार्थीगण के पश्चिम की ओर के काश्तकार भगवती देवी की 0.500 है0 भूमि पर अनाधिकृत कब्जा होना एवं अपीलान्टस की 0.950 है0 भूमि पर रेस्पो0 द्वारा अनाधिकृत कब्जा होना बताया गया है जिससे स्पष्ट है कि रेस्पो. ने अपीलान्टस की भूमि मे 0.0950 है0 अनाधिकृत कब्जा कर रखा है लेकिन अदालत मातहत ने इस अहम बिन्दु पर कोई गौर नही किया ओर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट को भगवती देवी की 0.1500 है0 भूमि पर अनाधिकृत कब्जा होना अंकित किया है यदि इस 0.1500 है0 भूमि को कम किया जाता है तो अपीलान्टस की कुल भूमि 0.4100 है0 बैठती है ओर रेस्पो.के द्वारा की गयी अनाधिकृत कब्जे की भूमि 0.950 है0 को सम्मिलित की जाती है तो अपीलान्ट का पूरा रकबा 0.5050 है0 बैठता है इसलिए स्पष्ट है कि रेस्पो0 ने अपीलान्टस की 0.950 है0 भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है लेकिन अदालत मातहत ने अपना माईण्ड अप्लाई किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

वकील रेस्पो. द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि सम्मत है जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि हमारे द्वारा उक्त भूमि ख0न0 2689 रकबा 2.0200 है0 व ख0न0 2690 रकबा 0.1300 है0 का 1/4 हिस्सा स्वरूपा पुत्र सुखदेवा गुर्जर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर अपने कब्जे मे लेकर उक्त भूमि को उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा द्वारा आदेश क्रमांक/भू0रू0/ 2019/2766 दिनांक 28.8.2019 से सम्परिवर्तन करवाया जाकर चारो तरफ चार दिवारी बनाकर निर्माण कार्य कर दिया है। किन्तु अपीलान्ट चालाक झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है जिन्होने झूंठे तथ्यों के आधार पर 183 बी का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत कर दिनांक 28.1.2020 को पटवारी से मिलकर अपनी मनमर्जी से मौका रिपोर्ट तैयार करवायी गयी है जिसमे ख0न0 5691/2689 रकबा 0.5050 है0 से अधिक भूमि पर कब्जा होना बताया गया है। उक्त मौका रिपोर्ट पर मुझ रेस्पो. द्वारा आपत्ति करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट तलब किये जाने के आदेश दिये जाने पर टीम गठित कर दिनांक 10.6.2020 को मौका रिपोर्ट तैयार की गयी जिसमे अंकित किया है कि ख0न0 5691/2689 रकबा 0.5050 है0 भंवरी,सुरजन, मुरारी पिता रामफूल मीना की खातेदारी है जो 0.56 है0 पर काबिज है बढा हुआ रकबा 0.0500 श्रीमति भगवती देवी पत्नि रमेश सिंह राजपूत की खातेदारी भूमि का है। संस्था जमवाय एजूकेशनल ट्रस्ट स.मा. ने ख0न0 2689 रकबा 2.02 है0 मे से 1/4

.......(2).......

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

भाग क्रय किया जो रिकार्ड मुताबिक 0.5050 है0 रकबा तकासमा के अनुसार आता है। टीम द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 10.6.2020 में अंकित किया है कि संस्था जमवाय ऐजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा पूर्व से सह खातेदारों के द्वारा किये हुए मौके के बटवारे के आधार पर सहखातेदार स्वरूपा पुत्र सुखदेवा का 1/4 हिस्सा क्रय किया है ओर पूर्व से काबिज काश्त के मुताबिक ही संस्था का वर्तमान में कब्जा है। चूंकि स्वंय अपीलान्ट द्वारा पडौसी खातेदार भगवती देवी की 0.0500 है0 भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत 183 बी का प्रकरण खारिज किया है जो विधिसम्मत है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा कथन किया।

वकील उभय पक्षों द्वारा किये गये कथन को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील इसलिए विधिसम्मत है क्योकि अपीलान्ट स्वंय की खातेदारी भूमि से अधिक भूमि पर काबिज है तथा मुताबिक मौका रिपोर्ट दिनांक 10.6.2020 के रेस्पो. द्वारा रिकार्ड व नक्शे के अनुसार पूर्व खातेदार से क्रय कर अपने कब्जे मे प्राप्त की गयी भूमि पर ही निर्माण कार्य करवाया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड एवं मौके की स्थिति, सीमाज्ञान एवं पर्चा मौका के आधार पर निर्णय पारित किया है जिसके किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उक्त विवेचन कि आधर पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.06.09 17:39:48 IST
Reason: SelfAttested